दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 22 मई 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 231

महत्वपूर्ण एवं खास

पीएम मोदी की डॉक्टर्स के साथ बातचीत, कहा- ब्लैक फंगस की नयी चुनौती सामने है, निपटने के लिए रहे तैयार

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर नया मंत्र दिया। कोरोना पर बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने डॉक्टरों सहित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनके योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा वाराणसी ने जिस तरह से पं राजन मिश्रा कोविड अस्पताल को सुसज्जित किया है और इतने कम समय में शहर में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू बेड की संख्या में वृद्धि करके एक महान उदाहरण स्थापित किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें कोरोना महामारी की इस अदृश्य दुश्मन से बच्चों सहित लोगों को बचाना है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना से जान गवांने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों से कहा कोविड-19 की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य प्रणाली को दबाव में डाल दिया है, कई मोर्चों पर इससे निपटना होगा। कोरोना के दौरान फैल रही ब्लैक फंगस की बीमारी पर भी पीएम मोदी ने बात की और कहा कि कोरोना के साथ ब्लैक फंगस महामारी जैसी एक नयी चुनौती भी सामने आयी है। इससे निपटने के लिए हमें सही से तैयारी करनी होगी। हमें जनता ने प्यार दिया तो उनकी नाराजगी भी सुननी पड़ेगी। हम तैयार है। हर परिस्थिति से निपटने के लिए।

आरोपी गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी जमानत

❍ भीमा कोरेगांव मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि गौतम नवलखा को 34 दिन नजरबंद रखा गया था और इसे सीआरपीसी के तहत हिरासत में रखना नहीं माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट की ओर से नवलखा को नजरबंद रखे जाने के आदेश में यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह न्यायिक हिरासत की जगह नजरबंद किए गए थे। अगर ऐसा होता तो नजरबंद रहने की अवधि को भी हिरासत में रहने का हिस्सा माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते एल्गार परिषद केस में गौतम नवलखा की जमानत याचिका को खारिज किया था। कोर्ट ने नवलखा की ओर से दी गई दलील पर भी गौर किया। नवलखा ने कहा था कि उन्हें हिरासत में रखे जाने में तकनीकी गड़बड़ियां हैं क्योंकि एनआईए ने 90 दिनों के अंदर कोई चार्जशीट दायर नहीं की। इन 90 दिनों में से 34 दिन वे थे जिनमें वे नजरबंद रहे थे। गौतम नवलखा ने इसी आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट से भी जमानत मांगी थी लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। हाई कोर्ट के फैसले को ही नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

कोरोना से नहीं थम रहा मौतों का तांडव, 2.59 लाख से अधिक नए मामले, 4,209 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक दिन में कोरोना के 2.59 लाख से ज्यादा मामले आने के अलावा कोरोना से चार हजार से ज्यादा लोगों की मौत ने खौफ पैदा किया हुआ है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी किए आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में 4,209 और लोगों की मौत हो गई और कोरोना के 2,59,551 नए मामले सामने आये हैं। कोरोना से देश में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,91,331 हो गई यानि देश में कोविड से मृत्यु दर .12 प्रतिशत है। जबकि अब तक देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,60,31,991 पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी

आई है और अभी 30,27,925 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 11.63 प्रतिशत है। वहीं देश में अभी तक कुल 2,27,12,735 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और मरीजों के ठीक होने की दर 87.25 प्रतिशत है।

देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार गए। वहीं, 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार, देश में 20 मई तक कुल 32,44,17,870 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई। इनमें से 20,61,683 नमूनों की जांच बृहस्पतिवार को की गई।

❍ **303 जिलों में संक्रमण की दर सिर्फ 15 फीसदी-** कोरोना संक्रमण की कुछ राज्यों में वायरस की पॉजिटिविटी रेट में गिरावट भी दर्ज की गई है, लेकिन एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में अब भी पॉजिटिविटी रेट 12 फीसदी से ज्यादा है। इसमें सबसे पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे पर कर्नाटक। हालांकि पश्चिम बंगाल, केरल तमिलनाडु समेत 22 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 15 फीसदी से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 13 से 19 मई के दौरान 303 जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम होकर 15.2 फीसदी पर आ गया। इससे पहले 210 जिलों में 5 मई तक पॉजिटिविटी रेट 21.5 फीसदी था। देश में 19 मई को सबसे ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। एक दिन में 20.55 कोरोना के सैंपल लिए गए। इनमें दो लाख 76 हजार नए मामले सामने आए। बुधवार को तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा 34,875 नए केस दर्ज किए गए, इसके बाद कर्नाटक में 34,281 नए मामले सामने आए।

❍ **ब्लैक फंगस बना नई मुसीबत-** कोरोना काल में 'ब्लैक फंगस' यानी 'म्यूकर माइकोसिस' भारत में तेजी से पांव पसार रहा है। बीते एक महीने में देश में पांच हजार से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से इसे महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत नोटिफाइड करने का आग्रह किया है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बाद अब तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, ओडिशा व तेलंगाना की सरकारों ने भी इसे महामारी रोग अधिनियम-1897 के तहत नोटिफाइड बीमारी घोषित कर भी दिया है।

❍ **ब्लैक फंगस से मौतों पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट-** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव से ब्लैक फंगस से हो रही मौतों और संक्रमण पर उचित कार्रवाई करने और रिपोर्ट देने को कहा है। एनएचआरसी ने मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित प्राधिकरण मामले में उचित कार्रवाई करेगा और इस मुद्दे पर की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को आठ सप्ताह के भीतर देनी होगी।सुप्रीम कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी ने एनएचआरसी से ब्लैक फंगस पर एक याचिका देकर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। उन्होंने इसमें बताया है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और ओडिशा समेत पूरे देश में तीन हजार से ज्यादा लोग ब्लैक फंगस की बीमारी से पीड़ित हैं।

एक बार फिर भवानीपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी ममता

» टीएमसी विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने दिया इस्तीफा

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भवानीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से विधायक चुने गए सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नंदीग्राम में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार का सामना करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ सकती है। भवानीपुर के मौजूदा तृणमूल विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा, मैंने सोवनदेब चट्टोपाध्याय से पूछा कि कहीं उन्होंने दबाव में तो इस्तीफा नहीं दिया। मैं उनके जवाब से संतुष्ट हूं और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। नियमों के अनुसार ममता बनर्जी को विधानसभा चुनावों के छह महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना होगा। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि बनर्जी अपनी पारंपरिक जीत वाली सीट - दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। बनर्जी ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम से सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। बनर्जी को अधिकारी ने चुनाव में हरा दिया। बनर्जी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन नियम के अनुसार उन्हें सरकार बनने के छह महीने के भीतर विधायक बनना होगा।

छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से 22 लाख किसानों को लाभ

» बघेल सरकार ने खाते में डाले 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी

नई दिल्ली (आरएनएस)। पूर्व प्रधानमंत्री स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त दी गयी। इस दौरान प्रदेश के 22 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपये की कृषि आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) प्रदान की गई। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों को गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों के लिए शुरू की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1500 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के अलावा सरकार की बहुआयामी गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के करीब 72 हजार पशुपालकों एवं ग्रामीणों को 15 मार्च से 15 मई तक गोबर खरीदी के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रूपए की राशि सीधे उनके खाते में भी ट्रांसफर किया है। उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के दिन से शुरू हुई गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के पशुपालकों एवं ग्रामीणों को अब तक कुल 88 करोड़ 15 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री बघेल गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को 3.6 करोड़ रूपए की राशि भी ट्रांसफर किया। इस मौके पर अन्य मंत्रीगण और अधिकारी उपस्थित रहे।

बघेल सरकार के इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संदेश में कहा कि जहां केंद्र सरकार किसान विरोधी नीतियां अपना रही है, वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के हित में कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। राजीव गांधी सदैव आम जनों को अपनी सोच और संकल्प में रखते थे, उनके बलिदान दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने सकारात्मक कदम उठाकर राजीव गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी है।

सुप्रीम कोर्ट से कॉरपोरेट को बड़ा झटका... अब देनदारों के प्रमोटरों पर भी कार्रवाई कर सकेंगे बैंक

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट से कॉरपोरेट जगत को बड़ा झटका लगा है। अब अनिल अंबानी समेत अन्य डिफॉल्टरों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को सही ठहराया है, जिसने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट करने वाले कॉर्पोरेट देनदार के प्रमोटरों (व्यक्तिगत गारंटर) के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है। शीर्ष अदालत के इस आदेश ने कॉरपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के समापन के बाद ऋणदाताओं के लिए व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं से शेष ऋण की वसूली के लिए रास्ता साफ हो गया है।

दरअसल अनिल अंबानी, कपिल

वधावन, संजय सिंघल और वेणुगोपाल धूत आदि उद्योगपतियों ने 15 नवंबर, 2019 की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी के प्रावधानों का दायरा प्रोमोटो तक के लिए बढ़ा दिया गया था) जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में वर्ष 2019 की। इस अधिसूचना को कानूनी और वैध करार दिया गया है। अब एसबीआई अनिल अम्बानी के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही कर सकती है। हालांकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवालियापन की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराते हुए कार्यवाही का आदेश जारी किया है।

❍ **एसबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका-** दरअसल, अनिल अंबानी की तीन कंपनियों पर बैंकों का 49,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है । पिछले साल भारतीय स्टेट बैंक ने अनिल अंबानी के 3 रिलायंस ग्रुप को 'फ्रॉड' बताया था। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की तीन कंपनियों के खिलाफ याचिका दायर की थी। बैंक ने हाईकोर्ट से कहा था कि इनके ऑडिट के दौरान फंड का दुरुपयोग, हस्तांतरण और हेरा-फेरी की गई है। इसकी सीबीआई जांच की जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने एसबीआई से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

❍ **बैंक गारंटरों से वसूल सकता है धन-** दरअसल, कर्ज लेने वाला व्यक्ति अपने दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों को गारंटर बनाता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लोन देने के वक्त कर्ज लेने वाले और गारंटर में कोई खास अंतर नहीं होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ईएमआई कर्ज लेने वाले के खाते से कटती है।

भारत ने भौगोलिक संकेतक प्रमाणित 2.5 मीट्रिक टन आम दक्षिण कोरिया को भेजे

नई दिल्ली (आरएनएस)। दक्षिण कोरिया को आम का निर्यात बढ़ाने के प्रयासों के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) ने सियोल स्थित भारतीय दूतावास और इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कोरिया (आईसीसीके) के सहयोग से वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक (वीबीएसएम) का आयोजन किया।

अपेडा, भारतीय दूतावास, आईसीसीके के आला अधिकारियों, भारत के निर्यातकों और दक्षिण कोरिया के आयतकों ने कल वीबीएसएम में हिस्सा लिया।

कोविड-19 महामारी के मौजूदा दौर के मद्देनजर निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम का पारंपरिक आयोजन संभव नहीं था। अपेडा ने पहल करते हुये वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया, ताकि भारत के आम निर्यातक और दक्षिण कोरिया के आयातक एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर बातचीत कर सकें।

इस माह की शुरुआत में, इस मौसम में पहली बार भारत ने भौगोलिक संकेतक (जीआई) मार्का आम बनगनपल्ली और सुवर्णरेखा की अन्य किस्मों की ढाई मीट्रिक टन मात्रा दक्षिण कोरिया को निर्यात की थी। ये आम आंध्रप्रदेश के कृष्णा और चित्तूर के किसानों से प्राप्त किये जाते हैं।

यह पहला निर्यात था, जिसे आईकेएसईजेड ने किया था।

डीआरडीओ ने बनाई कोरोना एंटीबॉडी टेस्ट किट डिपकोवैन

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा अनुसंधान संगठन ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट के रूप में डिपकोवैन तैयार की है। डीआरडीओ ने इससे पहले कोरोना मरीजों के लिए दवा 2डीजी के आविष्कार करके कोरोना के खिलाफ जंग में महत्वपूर्ण योगदान देने की मिसाल कायम की है। डीआरडीओ ने डिपकोवैन रखा गया है। इसके जरिए एएसएआरएस-सीओवी-2 वायरस के साथ-साथ न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन का भी 97 प्रतिशत की उच्च संवेदनशीलता और 99 प्रतिशत की विशिष्टता के साथ पता लगाया जा सकता है। इसे दिल्ली स्थित वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। डीआरडीओ के अनुसार डिपकोवैन किट पूरी तरह स्वदेशी है और इसे यहीं के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसके बाद दिल्ली के विभिन्न कोविड अस्पतालों में 1000 से अधिक रोगियों के नमूनों पर व्यापक जांच के बाद इसकी क्षमता सत्यापित की गई। बीते एक साल में इस किट के तीन बैच को वैधता प्रदान की गई है। अप्रैल 2021 में इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से मान्यता दी गई थी। अब मई में इस प्रोडक्ट को भारत ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से भी मंजूरी दे दी गई है। अब इस किट की खुले बाजार में बिक्री की जा सकती है। डिपकोवैन किट को तैयार करने का मकसद यह है कि इंसान के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी या प्लाज्मा का पता लगाया जा सके। इस किट की वैलिडिटी 18 महीने की होगी। इस किट को डीआरडीओ ने वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया गया है। वैनगार्ड की ओर से जून के पहले सप्ताह में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। पहले बैच में 100 किट मुहैया कराई जाएंगी। इसके बाद हर महीने 500 किट तैयार होंगी। इस किट की कीमत प्रति टेस्ट 75 रुपये के करीब होगी।

देश भर में कोविड-19 के टीके की अब तक 19 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गई

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का विस्तार होने के साथ अब तक दिए गए कोविड-19 टीके के कुल खुराक की संख्या आज 19 करोड़ (19,18,79,503) से ज्यादा हो गयी।

अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 27,53,883 सत्रों में कोविड-19 के टीके की कुल 19,18,79,503 खुराक दी जा चुकी हैं। इनमें वे 97,24,339 स्वास्थ्य सेवा कर्मी (एचसीडब्ल्यू) शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक ली है और 66,80,968 ऐसे एचसीडब्ल्यू भी शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है। इसके अलावा पहली खुराक लेने वाले 1,47,91,600 अग्रिम पंक्ति के कर्मी (एफएलडब्ल्यू), दूसरी खुराक लेने

82,85,253 एफएलडब्ल्यू, और 18 से 44 वर्ष आयु समूह में पहली खुराक लेने वाले 86,04,498 लोग शामिल हैं। इसके साथ-साथ 45 से 60 वर्ष की आयु के पहली खुराक लेने वाले 5,98,35,256 और दूसरी खुराक लेने वाले 95,80,860 लाभार्थियों के साथ-साथ 5,62,45,627 पहली खुराक लेने वाले और 1,81,31,102 दूसरी खुराक लेने वाले 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के लाभार्थी भी शामिल हैं। देश में अभी तक दी गई कुल खुराक में 10 राज्यों का 66.32 प्रतिशत योगदान है।भारत में पिछले 24 घंटे में 20.61 लाख से ज्यादा जांच हुई जो अब तक किसी एक दिन में हुई सबसे ज्यादा जांच है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने कल बना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

दैनिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर 12.59 प्रतिशत हो गया। भारत में लगातार आठवें दिन कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमण के नये मामलों से ज्यादा थी। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 3,57,295 लोग स्वस्थ हुए। बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या आज 2,27,12,735 हो गयी। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 87.25 प्रतिशत हो गयी।

स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में 10 राज्यों की 74.55 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एक और सकारात्मक घटनाक्रम के तहत भारत में दर्ज किए जा रहे कोविड-19 के दैनिक नए मामले लगातार पांचवें दिन तीन लाख से कम हैं। पिछले 24 घंटे में 2,59,551 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों में 10 राज्यों की 76.66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 35,579 और उसके बाद केरल में 30,491 नए मामले दर्ज किए गए। दूसरी तरफ भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 30,27,925हो गयी। यह देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 11.63 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 1,01,953 की कमी आयी है। देश के कुल सक्रिय मामलों में आठ राज्यों की हिस्सेदारी 69.47 प्रतिशत है।